



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 128 राँची, शुक्रवार,

25 मार्च, 2022 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

24 मार्च, 2022

विषय:- केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेवाएँ योजना अधीन अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा दिनांक-01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त करने एवं दिनांक-31.03.2022 तक इनके मानदेय भुगतान राज्यांश मद से वहन करने की स्वीकृति ।

संख्या-स०क०-के०प्रा०यो०-ICDS-सुद०/पु०ग०-182/2015--केन्द्र प्रायोजित Umbrella ICDS के अन्तर्गत विभागाधीन विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित हैं। इनका संचालन राज्य में 224 बाल विकास परियोजनाओं अन्तर्गत 38432 आँगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से की जा रही है ।

2. इन योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-8/2015-CD-I, दिनांक-22.10.2012 द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन के दृष्टिगत विभागीय संकल्प सं०-576, दिनांक-17.04.2013 के माध्यम से लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-2126, दिनांक-21.09.2015 के प्रावधानानुसार राज्य के छह (06) जिलों के 52 परियोजनाओं अन्तर्गत 10388 अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के चयन, सेवा-शर्त निर्धारित करते हुए इनकी सेवा वर्ष-2015 से प्राप्त की जा रही है तथा इस हेतु इन कर्मियों को प्रतिमाह रू०- 3,000/- की दर से मानदेय भुगतान किया जा रहा है ।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- 1-8/2015-CD-I., दिनांक-22.10.2012 के प्रावधानानुसार उनके द्वारा इन कर्मियों को मानदेय भुगतान हेतु UNTIED FUND-Additional AWW-cum-Nutrition Counsellor मद अन्तर्गत केन्द्रांश विमुक्ति अपने पत्रांक-11-36/2016-CD.I, दिनांक-23.11.2017 द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशानुसार UNTIED FUND-Additional AWW-cum-Nutrition Counsellor मद बंद (discontinued) कर दिया गया है ।

4. उपर्युक्त सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है:-

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य के 06 जिलों में नियुक्त किये गये अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की सेवा दिनांक-31.03.2022 तक ही जारी रखते हुए दिनांक-01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त की जाती है ।

ii. कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को दिनांक-31.03.2022 तक प्रतिमाह रु०-3000/- के निर्दिष्ट दर पर मानदेय भुगतान की जायेगी ।

iii. इन कर्मियों को मानदेय भुगतान केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना (204 परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय के लिए स्थापना) अन्तर्गत मानदेय इकाई अधीन राज्यांश मद के बजटीय उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प/आदेश/परिपत्र निरस्त अथवा इस हद तक संशोधित की जाती है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रतियाँ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।
